समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल संभाग इंदौर (म.प्र.)

PBR/निगरानी/खरगोन/भू.रा./2018/0044

रिवीजन पिटीशन क्रं................./2017

1. नानूराम पिता शंकर , जाति अ.जा., निवासी ग्राम खेड़ी खुर्द तहसील गोगांवा,जिला खरगोन।
2. राधु पिता शंकर, जाति अ.जा., निवासी ग्राम खेड़ी खुर्द तहसील गोगांवा,जिला खरगोन।
3. पुनमचंद पिता शंकर , जाति अ.जा., निवासी ग्राम खेड़ी खुर्द तहसील गोगांवा,जिला खरगोन।
4. ताबु पिता मोत्या, जाति अ.जा., निवासी ग्राम खेड़ी खुर्द तहसील गोगांवा,जिला खरगोन।
5. उदयसिंह पिता रामलाल , जाति राजपूत निवासी ग्राम डोंगरगांव तहसील गोगांवा,जिला खरगोन। समस्त का थाना क्षेत्र मेनगांव एवं पुलिस चौकी जैतापुर।

....................आवेदक/पिटीशनर।

विरूद्ध

1. श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय राजस्व संभाग इंदौर म.प्र
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरगोन जिला खरगोन।
3. श्रीमान् तहसीलदार गोगांवा जिला खरगोन।
4. मध्यप्रदेश शासन तर्फे पटवारी हल्का नंबर 11 ग्राम डोंगरगांव तहसील गोगांवा जिला खरगोन।
5. दामोदर पिता मुरलीधर जाति महाजन , निवासी डोंगरगांव तहसील गोगांवा जिला खरगोन

................अनावेदक।

विषय :— आवेदक/पिटीशनर की ओर से माननीय अपर आयुक्त राजस्व संभाग इंदौर के आदेश दिनांक 12/12/17 के विरूद्ध भू राजस्व संहिता म.प्र. की धारा 50 के अंतर्गत रिवीजन पिटीशन।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / निगरानी / खरगोन / भूरा / 18 / 0044 जिला खरगौन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.1.2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 12–12–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को शासकीय भूमि पर अतिकमण कर कृषि कार्य करने का दोषी पाते हुये उक्त भूमि से बेदखल करने संबंधी आदेश दिये गये हैं जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	